SHRI SANJAY DALMIA: Sir, if this amount is not going to be recovered, would it not amount to reducing the liability? This is a very important point. Is the Minister planning to recover this amount? If he is not planning to recover this amount, it would amount to reduction of liabilities.

MR. CHAIRMAN: The question is, "Whether specific instances of reducing liabilities have been brought to his notice".

SHRI SANJAY DALMIA: Exactly, Sir. If you don't recover the dues, that is reduction of liability.

MR. CHAIRMAN: But the question is, "Whether specific instances have been brought to his notice." He says, "No instances have been brought to his notice".

SHRI SANJAY DALMIA: Sir, I would like to put a specific question. Now Rs. 174 crores are due. It this amount is not going to be recovered, if this amount is going to be written off, would it not amount to reduction of liability?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: There is no intention to write it off. Our effort is to recover whatever amount can be recovered.

SHRI SANJAY DALMIA: Which are the major companies from whom these dues are to be recovered?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: That will require a specific question.

SHRI SANJAY .DALMIA: This is a specific question. There is Rs. 174 crores liability. Most of these are foreign companies.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, if you knew the company you could have written the name of the company. You are asking here whether specific instances have been brought to his notice. Up till now, there were no instances. You are now drawing it to his notice. For that he says he requires notice.

SHRI MD. SALIM: Officers are not bringing it to the notice of the Minister.

SHRI SANJAY DALMIA: So then, I have the assurance that this liability will not be written off. Can I have that assurance?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: That is right. Our effort will be to recover the monay and not to write it off.

Transfer Policy in Respect of Teachers of Navodaya Vidyalayas

*245. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that teachers of Navodaya Vidyalayas are entitled to request transfer only once during their service-period; and

(b) if so, the justification thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Yes, Sir. However, a second request transfer is also considered in respect of female employees in cases occasioned by marriage/transfer of spouse.

(b) The Executive Committee of Navodaya Vidyalaya Samiti decided that an employee of the Samiti be given only one opportunity for request transfer throughout his tenure in order to minimise the disruption of teaching/learning process particularly in view of the residential nature of Navodaya Vidyalayas.

SHRI PARAG CHALIHA: Sir, I am glad to know one thing that the hon. Minister has gone half way to meet the basic requirement of socialistic pattern of society, particularly, in the field of education by giving one chance to lady teachers only. I think only confining to one chance for transfer is unrealistic and rather counter-productive. So, may I know whether at least some minimum requirment of a tenure of, say, 3—5 years will be quite sufficient for asking for any

transfer? We must not withhold the majority of the teachers who are males to get confined to only the rural surrounding for the entire life. This cuts at the very root of the socialistic view of our society. Will the Minister kindly consider this thing?

डा. मुरली मनोहर जोशी: नवोदय विद्यालयों की स्थापना कुछ विशेष उद्देश्य से की गई है और वह ग्रामीण बालकों को उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, उन्हें शिक्षा की सुविधा प्राप्त कराने के लिए और एक तरह से समाज की शिक्षाओं के लिए एक पेस सैटर के तौर पर, एक मॉड्ल के तौर पर संस्थाएं चलाई जाएं, उसकी दृष्टि से इन विद्यालयों की स्थापना की गई है नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत। आप इसमें देखेंगे कि, हमने विशेष तौर शैड्यूल कॉस्ट और शैड्यूल ट्राईब्स के जो हमारे लक्ष्य थे हमने उसको प्राप्त भी किया है। सामान्य त्तौर पर शैड्यूल कॉस्ट के लिए 15 प्रतिशत का लक्ष्य होना चाहिए था लेकिन हमारी भर्ती में यह संख्या 22 प्रतिशत तक पहुंती है। इसी तरह से शैड्यूल ट्राइब्स का लक्ष्य 7.5 परसेंट होना चाहिए था लेकिन वह 13.1 परसेंट तक गया है। मै आपको यह भी बता सकता हूं कि इन विद्यालयों में हमने जो उसका सामाजिक ढांचा अध्ययन किया है वह ऎसी चीजों की तरफ इंगित करता है जिससे इन विद्यालयों के रूप में परिवर्तन करना उचित नही लगता और स्थानान्तरण की नीति को बदलना उचित नही लगता। जैसा कि 1989-90 में 221 नवोदय विद्यालयों का सोशल इकोनोमी सर्वेक्षण कराया गया था, उसमें जिनकी आमदनी 12 हजार रूपए प्रति वर्ष से कम थी वह 63 प्रतिशत स्टेट्स के लोग थे और एजूकेशनल बैंक ग्राउंड में जिसमें पिता की शिक्षा केवल मिडिल तक हुई थी यानी उससे ऊपर पिता भी नहीं पढ़ा था उन बच्चों की संख्या 40.5 प्रतिशत थी और माताए जो केवल मिडिल तक ही पढ़ी थी उनकी संख्याआ 32.5 थी और जो अशिक्षित थी उनकी संख्या लगभग 40 प्रतिशत थी। यानी जिन बच्चों के माताओं-पिताओं की शिक्षा की पृष्ठभूमि बहुत कम थी उनके बच्चों को इसमें अधिक प्रवेश मिला और वह आगे बढे।

आप देखेंगे कि उनके परीक्षा फल भी इस दृष्टि से काफी अच्छे रहे है। जहां आप यह देखते है कि आज कल जिन्हें प्रसिद्ध स्कूल कहते है, बड़े प्राइवेट स्कूल बोलते है उनके परिणामों की तुलना में इनके परिणाम बहुत कम्पेयरेबल रहे है। मैं भी आपको बता सकता हूं कि 82 प्रतिशत लगभग परिणाम रहता है उन स्कूलों का जिन्हें आप पब्लिक स्कूल कहते है और लगभद इतना ही परिणाम रहता है इन विधालयों का। लगातार तीन वर्ष से यह स्थिति रही है। इस साल थोडी सी जरूर कमी हुई है लेकिन सी.बी.एस.ई के सभी में थोडी कमी हुई है। इसका कारण यह है कि हम अध्यापकों को बराबर बच्चों के साथ रखते है। अगर अध्यापकों का जल्दी-जल्दी स्थानांतरण कर दिया जाए तो जो उनका सम्पर्क है और ध्यान है, बच्चों को आगे बढ़ाने में, वह कम हो जाएगा। इसलिए नीती यह बनाई गई है कि कम से कम ट्रांस्फर करें और उस ट्रांस्फर की नीति के आधार पर यह भी कहा गया है कि एक बार अवसर जरूर देना चाहिये अनुरोध करने के लिए। अगर महिला है तो उसे दो अवसर दे देने चाहिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी, हमारे पास इस विषय में कुछ ज्यादा सुझाव या शिकायतें हमारे तो उस पर सरकार गौर करेगी। अभी तक तो कोई ऎसी स्थिति नजर नही आती है।

SHRI PARAG CHALIHA: Mr. Chairman, Sir, being a teacher all my life, I have great regard for the hon. minister, who is also a renowned teacher. I think the hon. Minister would be the last person to feel that in the entire career of his life, a teacher has only one chance of transfer. I am glad that he has kindly noted it for future action.

Sir, my second supplementary is that there is no provision for having any representative of the public in the management committees and the executive committees. Will the hon. Minister kindly see to it that some Members of Parliament as well as MLAs could be made members of these executive committee and the management committees?

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। सरकार इन संस्थाओं की प्रवन्ध समितियों की रचना पर विचार कर रही है उस समय हम इन सुझावों पर पूरी गहराई से ध्यान देंगे कि इन नवोदय विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों में जनप्रतिनिधिवों को स्थान दिया जाए।

श्री राघवजी: सभापति जी, अभी मानानीय मंत्री जी ने अपने पूरक प्रशन के उत्तर मेम यह बताया कि नबोदय विद्यालयों की स्थापना एक विशिष्ट उद्देश्य को ले कर कि गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के स्तर का विकास हो सके। इन नवोदय विधालयों की प्रणाली को लगभद 10 वर्ष पूरे होने को आए है, मै माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन 10 वर्षो की

srir U अवधि समाप्ति होने पर कोई मूल्यांकंन किया गय है कि जिस उद्देश्य को ले कर इन नवोदय विधालयों की स्थापना की गई थी, किस अंश तक वह उद्देश्य पूरा हुआ है और कितनी खामिया रह गई है और अगर खामिया रह गई है तो उनको दूर करने के लिए शासन कौन से उपाय अपनाने जार रहा है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, जहां तक नवोदय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य था उसमें बहुत बड़े अंश तक सफलत मिली है । ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों और उनमें से जो अत्यंत निर्धन और निर्बल वर्ग के छात्र थे, उनको अच्छी शिक्षा का स्तर उपलब्ध कराया गया है । नवोदय विद्यालयों मे और अधिक सुधार हो, उसके लिए इन तमाम संस्थाओं को रिव्यु करने का विचार किया गया है तथा शीघ्र ही बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि सावधिक रिव्यु होता ही रहना चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर और अध्यापन का स्तर और प्रबंन्ध कर स्तर, इनका बराबर मूल्याकन होता रहे । जैसे ही रिव्यु कमेटी के रिजल्ट आएंगे, उनके आधार पर हम आवश्यक सुधार करेंगे ।

श्री रामगोपाल यादव: श्रीमन, माननीय एच.आर.डी. मिनिस्टर हिन्दुस्तान की बहुत प्रतिष्ठित यूनीवर्सिटी के रिनाऊंड प्रोफेसर रहे है फिजिक्स के और अध्यापक होने के नाते यह भी जानते है कि जब घरों से बहुत दूर कोई लोग पोस्टेड होते है तो उतना मन से नही पढ़ा सकते एक जगह रह कर भी, जितने मन से उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए ।

जब पूरी से वे निराश हो जाते है, जीवन में केवल एक बार ही ट्रांसफर के लिए एप्लाई कर सकते है दुबारा एप्लाई नहीं कर सकते तो दिक्कत और परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है । मै सिर्फ यह जानना चाहुंगा कि नवोदय विद्यालयों के लिए जब एपाइंटमेंट्स होते है तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से की जा सकति है कि जो सिलेक्टेड टीचर्स हों उनको नीयरेस्त नवोदय विद्यालय में एपांइटमेंट दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में उनके सामने ट्रांसफर के लिए कोई प्राबलम नहीं हो? अगर इस तरह का कोई आश्वासन हो तो कम से कम अब तो एपांइटमेंट हों उनके सामने यह दिक्कत नहीं आ पाएगी वरना चालिहा जी का यह प्रश्न वाजिब है कि पूरे जीवन में एक बार ट्रांसफर वाली बात जो होती है उससे बहुत दिक्कत पैदा होती है ।

डा. मुरली मनोहर जोशी: आपने मेरे बारे में बहुत अच्छे शब्दों का उल्लेख किया । मै ऎसे विद्यालय में था जहां जीवन भर एक भी ट्रांसफर नहीं हो सकता था । मेरा विश्वास है कि अपको इन नवोदय विद्यालयों की भर्ति नीती का अनुमान होगा क्योंकि ये क्षेत्रीय आधार पर हि भर्तियां की जाती है । इसमें ऎसा नहीं होगा कि तमिनाडु के व्यक्ति को नार्थ इस्ट में भेज दिया जाए । ऎसा नही होता है । साथ ही साथ हम किसी के गृह क्षेत्र में उसकी नियुक्ति नहीं करते क्योंकि वह एक स्थान पर रहने वाल व्यक्ति है, उसे बच्चों के साथ वहां पूरी तरह रहना है और एक स्थान का रहने वाला अध्यापक उन बच्चों के साथ किसी भी कारण के पक्षपात अथवा भेदभाव कर सकता है । इसलिए हम इन बातो को ध्यान में रखते हुए उनकी नियुक्ति करते है । लेकिन जैसा मैने बताया, इन सारे प्रश्नोम पर जब रिव्यु कमेटी बनेगी वह हर तथ्य पर विचार करगी । अभी तक तो सरकार की दृष्टि में अध्यापकों को एक बार स्थानांतरण का अवसर देने का विचार है । लेकिन रिव्यु कमेटी जैसा निर्णय करेगी उसके आधार पर हम फैसला लेंगे ।

श्री गुलाम नबी आजाद: सर, डिफेंस फोसेंज देश की रक्षा करती है और बहुत ही कठिन समस्याओं का उन उनकों सामना करना पड़ता है । अभी मैं जम्मू-काश्मीर कुछ दो हफ्ते पहले था तो डिफेंस फोसेंज लददाख में कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनकी समस्याओं के बारे में । उनकी समस्याएं बाकी को बार्डर्स की है वे तो माननीय मंत्री जी से संबंधित नहीं है । लेकिन एक और कठिनाई है कि एक तरफ तो वे बंदूक की छा; में बार्डर्स पर बैठते है और दूसरी तरफ उनको अपने बच्चों की पढ़ाई की चिन्ता लगी रहती है । आज के जमाने में जबकि सब बच्चे प्राइवेट स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करते है लेकिन फोसेंज के,खास तौर से जो जुनियर लेकिन के लोग वे तो अंग्रजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते । जो क्या जिस तरह से केंद्रिय विधालय में आर्मी के लिए, आर्मी के बच्चों के लिए जगह है क्या नवोदय स्कूलों में भी पैरा-मिलिट्री फोसेंज और आर्मी के बच्चों ले लिए कोई रिजवेशन का साधन बन सकता है? अगर नहीं तो मैं मांग करूंगा माननीय मंत्री जी से कि ऎसा कोई रास्ता निकालना चाहिए क्योंकि जो लोग हमारे देश की रक्षा करते है तो कम से कम उनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी तो हमको लेनी चाहिए ।

डा. मुरली मनोहर जोशी: देखिए, इस बारे में अभी तक हमें केन्द्रिय सेना से या सेना के किसी विभाग

से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि केन्द्रीय विधालय उनकी सारी आवश्यकताओं को पुरा कर लेते है। लेकिन अगर आर्म्ड फोसेंज की तरफ से कोई इस तरह ....(**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: पैरा-मिलिट्री फोसेंज ....(**व्यवधान**) उन बेचारों को तो बंदूक से ही फुर्सत नहीं है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: पैरा-मिलिट्री फोसेंज के जो उनके संस्थान है अगर हमें इस बारे में अपनी कठिनाइयों से अवगत कराएंगे तो रिव्यु कमेटी उस पर भी विचार करेगी।

श्री शरीफ-उद्द-तीन शरीक: आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने विद्यालयों मेम टीचर्स के ट्रांसफर के बारे में बताया। उसके बारे में मेरी गुजारिश है कि इन्सान कि फितरत ही ऎसी भगवान ने पैदा कि है कि वह सीमायी तबियत का है और तब्दीली चाहता है। हर मामले में तब्दीली चाहता है। तो इसलिए एक टीचर को हम एक ही जगह पर रखे सारी उम्र जो हमने यह एम बनाया है, मुझे लगता है कि इन्दान की फितरत के तकाजे पूरा नहीं करता और यह बजाए नौकरी के एक कैदखाना बन सकता है कि 10-15 साल एक जगह गुजारे। मेरी नोटिस में एक ऎसी भी बात है कि एक लेडी टीचर के बारे में जो खुद जम्मू-कश्मीर के बसौली इलाके मे है। और उसका हस्बैंड उडीसा की कहीं कंपनी मेम काम कर रहा है, उनका इकलौत बच्च, कमसिन बच्च उसको दिल्ली के किसी घर में रख लिया है, इन हालात में क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि ऎसे कैसेज जो है उनको कंपैशनेट ग्राउंड पर बैठा कर उनके इस किस्म के तबादले हों ताकि उनकों थोड़ा घर में भी राहत मिलें? यह मेरी गुजारिश है।

†**شری شریف الدین شارق**: آنریبل منسٹر صاحب نے ودیالیوں میں ٹیچرس کے ٹرانسفر کےبارے میں بتایا۔ اسکے بارے میں میری گزارش ہے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی بھگوان نے پیدا کی ہے کہ وہ سیابی طبیعت کا ہے اور تبدیلی چاہتا ہے، ہر معاملے میں تبدیلی چاہتا ہے۔ تو اسلئے ہم ایک ٹیچر کو ایک ہی جگہ پر رکھیں ساری عمر ہم نے جو یہ ایم بنایا ہے، مجھے لگتا ہے کہ انسان کی فطرت کا تقاضہ پورا نہیں کرتا اور یہ بجائے نوکری کے ایک قید خانہ بن سکتا ہے کہ دس پندرہ سال ایک جگہ گزارے۔ میرے نوٹس میں ایک ایسی بھی بات ہے ایک لیڈی ٹیچر کے بارے میں جو خود جموں کشمیر کے بسولی علاقہ میں ہے، اور اسکا شوہر اڑیسہ کی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، انکا اکلوتہ بچہ، کمسن بچہ اسکو دہلی کے کسی گھر میں رکھ لیا ہے، ان حالات میں کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ایسے کیسز جو ہیں ان کو کمپشنیٹ گراؤنڈ پر بٹھا کر انکے اس قسم کے تبادلہ ہوں تاکہ ان کو تھوڑ گھر میں بھی راحت ملے؟ یہ میری گزارش ہے۔

डा. मुरली मनोहर जोशी: अब नवोदय विद्यालयों के संबंध में ऎसे आवेदन या ऎसे प्रार्थना-पत्र हमें नहीं मिले है और इन विधालयों में भर्ती होते समय अध्यापन के तौर पर उन्हें मालूम होता है कि वहां उन्हें उसी विधालय में रहना है और वही काम करना है। यह जानकर और समझकर ही वे वहां आवेदन करते है और इसलिए नहीं कि हमने नियम बनाया है, बल्कि इसलिए कि शिक्षाविदों की यह राय है कि इन विधालयों में, जिन्हें रेज़ीडेंशीयल स्कूलज़ कहते है, जहां पर आवासीय व्यवस्थाएं होती है, वहां अध्यापकों के स्थानांतरण ठीक नहीं होते, क्योंकि उस संस्था की परंपराम वहां की व्यवस्था और बच्चों के साथ उनका संबंध यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह नियम इसलिए नहीं है कि कोई सरकार की विम्ज़ है बल्कि नियम शिक्षा की व्यवस्था

†[ ]Transliteration in Arabic Script

प्रणाली को देखकर बने है और अगर इसमें शिक्षाविद ही हमें कोई सुझाव देंगे कि इस बारे में ऐसे नहीं, ऐसे किया जाना चाहिए तो शिक्षा की व्यवस्था को और बच्चों की उन्नति को देखते हुए जरूर विचार करेंगे । मगर यह मैं सम्मननीय सद्स्य को और सदन को बताना चाहता हूं कि यह नियम कोई सरकार की विम्ज़ की वजह से नहीं बने है या हमें कोई इस पर ज़िद नहीं है कि ये नियम हमने बना दिए है, बल्कि शिक्षाविदों ने जो राय दी है, जो शिक्षाआ को चलाते है, संस्थाओं को चलाते है, उनकी सोची-समझी हुई राय है, उसके आधार पर इसको बनाया है । ताहम अगर जितनी कठिनाइयां आयेंगी, जैसा मैने बताया और उसके बारे में हमें आवेदन प्राप्त होंगे, तो रिव्यू कमेंटी जरूरी विचार करेगी ।

MR. CHAIRMAN: Now Question No. 246, Shri Gufran Azam, not here.

*246 *[The Questioner (Shri Gufran Azam) was absent. For answer* vide *Col....* infra].

Tobacco addiction among Children

*247. SHRI V. P. DURAISAMY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 40 lakh children below 15 years of age are addicted to tobacco;

(b) whether it is also a fact that tobacco handling by women affects pregnancy; and

(c) what steps have been taken by Government to discourage tobacco use?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMI LY WELFARE (SHRI DALIT EZHIL-MALAI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Yes, Sir. National Sample Survey Organisation Report estimates that, 46.5 lakh Children below the age of 15 years are addicted to Tobacco.

An Occupational Health Study, conducted by National Institute of Occupational Health, involving 178 Women engaged in Beedi making, reported about prevalence of backache, headache, giddiness, etc. among these .Women Workers. 19% of these women had 1—4 miscarriages at 3—5 months of pregnancy. However, the study is not considered to be conclusive in its findings. A WHO Publication, "Women and Health" 1592, mentions that smoking and use of smokeless Tobacco by Women is associated with increased risk of infertility, miscarriage, low birth weight of child, higher still birth rates, etc.

The Government has intensified its efforts to discourage people from Tobacco consumption. Under the Administrative instructions, tobacco smoking is prohibited in Hospitals Dispensaries and other Health Care Establishments, Educational Institutions, conference rooms, demestie airflights, air conditioned chair cars and air conditioned sleeper coaches in trains, sub-trains and air conditioned buses under the control of Government of India. Smoking has also been prohibited in public places and public conveyances in the National Capita] Territory of Delhi. In addition, the following measures have been taken to discourage consumption of Tobacco:—

(i) As per the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975, it is mandatory to display health warning on all car-tons/packets of cigarettes.

(ii) Under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, a warning 'Chewing of tobacco is injurious to health' is mandatory on chewing tobacco products.

(iii) Direct advertisements relating to tobacco or tobacco related products are prohibited on Doorsharshan, and All India Radio.

(iv) The Government has advised the State Governments to discourage the consumption of products containing chewing tobacco, including Gutka. They have also been advised to ensure that tobacco products are not sold around educational institutions such as schools, colleges.